स मा ह र णा ल य,कि श न गं ज

(जिला राजस्व प्रशाखा)

पत्रांक............. /जि0रा0, दि0........./ /2013

प्रेषक,

समाहर्त्ता,
किशनगंज।

सेवा में,

अनुमण्डल पदाधिकारी,
–सह–
विशेष पदाधिकारी,
बाजार समिति (वि0)
किशनगंज/बहादुरगंज/ठाकुरगंज।

विषयः– बाजार समिति, किशनगंज/बहादुरगंज/ठाकुरगंज के बाजार प्रागंन में जूट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (J.C.I) को लीज पर दी गई भूमि से संबंधित अभिलेखों की छाया–प्रति उपलब्ध कराने के संबंध में।

प्रसंगः– आपका पत्रांक–63, दिनांक–19.03.2013

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में कहना है कि तत्कालीन कृषि उत्पादन बाजार समिति, किशनगंज/बहादुरगंज एवं ठाकुरगंज के प्रांगण में जूट क्रय केन्द्र खोलने हेतु 2 एकड़ की दर से बाजार समिति की भूमि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना का स्वीकृत्यादेश सं0–63(6)/रा., दिनांक–22.01.2010, 62(6)/रा., दिनांक–22.01.2010 एवं 64(6)/रा., दिनांक–22.01.2010 के आलोक में निर्धारित सलामी एवं वार्षिक लगान अलावे सेस के भुगतान पर 30 वर्षो के नवीकरण विकल्प पर जूट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को हस्तांतरित की गई है। (तीनों स्वीकृत्यादेश की छाया–प्रति संलग्न)।

विभागीय स्वीकृत्यादेश में अन्य शर्तो के साथ एक शर्त्त यह है कि इस वन्दोवस्ती से प्राप्त राशि में बजट शीर्ष 0029 भू–राजस्व 101 राजस्व कर, 0001 भूमि राजस्व 75–10 कर मद विपत्र कोड आर–0029001010001 में जमा होगी। स्पष्ट है कि उक्त लीज वन्दोवस्ती से प्राप्त सलामी अथवा लगान की राशि राजस्व शीर्ष में हीं जमा किया जाना है न कि बाजार समिति द्वारा इसकी वसूली की जानी है।

अतः अनुरोध है कि जूट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया से लगान मद की प्राप्त राशि को चालान द्वारा अविलम्ब उपयुक्त शीर्ष में जमा कराते हुए कोषागार चालान की प्रति उपलब्ध कराने की कृपा की जाय तथा भविष्य में इस राशि की वसूली बाजार समिति द्वारा नहीं करायी जाय।

विश्वासभाजन,
ह0–
समाहर्त्ता,
किशनगंज।

ज्ञापांक– 501 /जि0रा0, दिनांक– 06/04 /2013

प्रतिलिपिः– क्षेत्रीय प्रबंधक , जूट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, पूर्णियाँ को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः: जिला प्रबंधक (आई0टी0) किशनगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

[signature] 6/4
समाहर्त्ता,
किशनगंज।

D/Shakeb426

[handwritten initials] 06.04.13